फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 46/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/50) **श्री नरेन्द्रसिंह मोत्या बनाम श्रीमती मोत्या ब्राहम्ण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री ललित जैन - वकील अपीलार्थी 2. श्री प्रमोद दाणी - वकील प्रत्यर्थी-1 व 5 **अनवान** 1. श्री नरेन्द्रसिंह पिता स्व.श्री मिठुसिंह राजपूत, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. श्रीमती मोत्या पत्नि श्री उदाजी ब्राहम्ण, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामेश्वरलाल, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्री भंवरलाल पिता श्री पृथ्वीराज मेनारिया, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ 4. श्री मथरालाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ 5. श्री मोहनलाल पिता श्री उदयलाल मेनारिया, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ 6. श्री अर्जुनसिंह पिता श्री नारायणसिंह, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ 7. श्रीमती ललिता पत्नि श्री सत्यनारायण, भूरकिया खुर्द, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, बप्रकरण संख्या 27/2022 निर्णय दिनांक 08.03.2022 (अनवान श्रीमती मोत्या बनाम श्री भंवरलाल वगैरह)** **निर्णय** दिनांक 13.02.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, बप्रकरण संख्या 27/2022 निर्णय दिनांक 08.03.2022 (अनवान श्रीमती मोत्या बनाम श्री भंवरलाल वगैरह) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात संख्या 19, 234 व 236 के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडौसी विपक्षीगण (वर्तमान अपील के अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-3 से 7) के साथ सीमा विवाद की स्थिति रहती है। अतः उनके खातेदारी भूमि की मौके पर नपती कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें। • उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 08.03.2022 को पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 08.03.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 02.02.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 व 5 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना के अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7 को पक्षकार बनाया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको कोई नोटिस/सम्मन जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से आराजी संख्या 237/2 की जमीन क्रय की गई। उक्त जमीन को प्रत्यर्थी-1 व 2 कब्जे की नियत से हड़पना चाहते जिस हेतु उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का पेश किया और बिना सम्यक तामिल के उक्त आदेश पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 46/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/50) **श्री नरेन्द्रसिंह मोत्या बनाम श्रीमती मोत्या ब्राहम्ण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करा दिया जो निरस्तनीय है और नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। उक्त आदेश की जानकारी ग्रामवासियान द्वारा दिये जाने से जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया, जिससे उसे उक्त आदेश की जानकारी ससमय नहीं हो सकी। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी-1 व 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त निर्णय में विवादित आराजीयात की बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी किये पक्षकारान की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये है, जिसमें किसी के हित प्रभावित नहीं होते है। कोई भी खातेदार अपनी भूमि की नपती एवं पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख कारण प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया जिससे उसे उक्त आदेश की जानकारी ससमय नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं परिक्षण उपरान्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद पाये जाने से प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला समक्ष वर्तमान अपील के अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-3 से 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर पत्थरगढ़ी किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्य पक्षकारों को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, जो राजस्व कोर्ट मेन्युअल, राजस्व नियमावली एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर एक्ट को एडमिशन स्तर पर ही स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, डूंगला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2022 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, डूंगला को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर